



जिला निर्वाचन पदाधिकारी—सह—उपायुक्त का कार्यालय, राँची। (जिला निर्वाचन शाखा)

लोक सभा निर्वाचन—2019 के लिए आहूत टेन्ट शामियाना, जेनरेटर, भाड़े पर आपूर्ति हेतु निविदा की शर्तें।

A. तकनीकी बीड—(Technical Bid)

- I. तकनीकी बीड में आयकर देने सम्बन्धी निबन्धन संख्या एवं अद्यतन तीन वर्षों का आयकर रिटर्न एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- II. जी0एस0टी0 निबन्धन सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- III. प्रत्येक निविदादाता को 20,000.00(रूपये बीस हजार) का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति की राशि के रूप में उप निर्वाचन पदाधिकारी के पदनाम से देय होगा, जो राँची में भुगतये होगा। तकनीकी बीड के साथ संलग्न करना होगा।
- IV. प्रत्येक निविदादाता को अपने भण्डार में उपलब्ध कुर्सी, टेबल, टेन्ट शामियाना संबंधी अन्य आइटम की विवरणी संलग्न करना आवश्यक होगा।
- V. तकनीकी बीड के साथ पूर्व चुनाव में कार्य करने का कोई अनुभव/कार्यादेश हो तो संलग्न कर सकते हैं। अन्य शर्तें पूर्ण करने पर अनुभव वाले फार्म को प्राथमिकता दी जा सकती है।
- VI. पूर्व में निर्वाचन कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने वाले निविदादाता निविदा के पात्र नहीं होंगे।

B. वित्तीय (Financial bid):—

1. वित्तीय बीड के लिफाफे में प्रत्येक आइटम यथा—शामियाना, वाटर प्रूफ पण्डाल, नन—वाटरप्रूफ पण्डाल, सीलिंग इत्यादि का दर प्रति वर्गफीट प्रति दिन स्लैब के आधार पर देना होगा।
2. टेन्ट, पण्डाल, शामियाना इत्यादि गुणवत्ता के अनुरूप आपूर्ति करने सम्बन्धी शपथ पत्र कार्यादेश निर्गत होने पर संलग्न करना होगा। समय पर कार्यादेश के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है अथवा काली सूची में डाला जा सकता है।
3. कार्यालय या कार्यस्थल तक सामग्रियों को लाने या वापस ले जाने हेतु किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
4. निविदा स्वीकृति करने, अस्वीकृत करने अथवा सम्पूर्ण निविदा रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
5. न्यूनतम स्वीकृत दर पर आवश्यकता अनुसार एक से अधिक फार्मों को कार्यादेश दिया जा सकता है।
6. प्रत्येक निविदादाता को दो अलग—अलग मुहरबन्द लिफाफे में तकनीकी बीड (Technical Bid) एवं वित्तीय बीड (Financial bid) सम्बन्धी कागजात समर्पित करना होगा। लिफाफों पर स्पष्ट अक्षरों में तकनीकी बीड तथा वित्तीय बीड अलग—अलग अंकित करना होगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी

—सह—

उपायुक्त, राँची।



जिला निर्वाचन पदाधिकारी—सह—उपायुक्त का कार्यालय, राँची । (जिला निर्वाचन शाखा)

—:अल्पकालिक निविदा की सूचना:—

एतद् द्वारा लोक सभा निर्वाचन-2019 के अवसर पर कई प्रकार की सामग्री क्रय/भाड़े/आपूर्ति लिये जाने की आवश्यकता होती है जो निम्न प्रकार है:-

1. टेन्ट शामियाना, वाटर प्रुफ पंडाल, उपस्कर, जेनरेटर(विद्युत आपूर्ति हेतु) एवं अन्य विद्युत सामान आदि भाड़े पर लेने हेतु।
2. लेखन सामग्री क्रय हेतु एवं मुद्रण दर के लिए।
3. वीडियो ग्राफी, डिजिटल कैमरा, एच0डी0 कैमरा, लैपटॉप, जेरोक्स मशीन फैक्स रोल आदि भाड़ा पर लिये जाने हेतु।
4. खाना, नास्ता कॉफी, चाय एवं अन्य पेय पदार्थ क्रय हेतु।
5. छायाप्रति एक तरफ एवं दोनों तरफ करने (A4 size, Legal size, A3 size) के लिए।
6. विभिन्न प्रकार के छोटी वाहनों के किराया निर्धारण।

उक्त सामग्रियों को क्रय/भाड़ा/आपूर्ति पर देने के इच्छुक निविदादाताओ से दिनांक 27.02.2019 को 03.30 बजे अपराहन् तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा जिला निर्वाचन शाखा राँची में रखे ड्राप बॉक्स में निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय अवधि में डाला जायेगा। निविदादाताओ से प्राप्त निविदा उनकी या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में उसी दिन अपराहन् 4.00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष उप विकास आयुक्त, राँची के कार्यालय कक्ष, विकास भवन, राँची में खोली जायेगी। निविदा से संबंधित शर्तें, विशिष्टी की जानकारी तथा सामग्रियों का विवरण/सूची आदि का अवलोकन राँची जिला के वेबसाईट—<http://ranchi.nic.in> पर या जिला निर्वाचन शाखा, राँची में किया जा सकता है। सभी सामग्री/किराया पर ली जानी वाली सामग्री तथा आपूर्ति की सामग्री का दर सभी करो सहित होगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी—सह—
उपायुक्त, राँची।



जिला निर्वाचन पदाधिकारी—सह—उपायुक्त का कार्यालय, राँची। (जिला निर्वाचन शाखा)

लोक सभा निर्वाचन-2019 के लिए विडियो ग्राफी/फोटोग्राफी एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि हेतु निविदा की शर्तें।

A. तकनीकी बीड:—(Technical Bid)

1. तकनीकी बीड में आयकर देने सम्बन्धी निबन्धन संख्या एवं अद्यतन तीन वर्षों का आयकर रिटर्न एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
2. जी0एस0टी0 निबन्धन सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. प्रत्येक निविदादाता को 20,000.00(रुपये बीस हजार) का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति की राशि के रूप में उप निर्वाचन पदाधिकारी के पदनाम से देय होगा, जो राँची में भुगतये होगा। तकनीकी बीड के साथ संलग्न करना होगा।
4. प्रत्येक निविदादाता को कार्य के अनुसार सामग्री की व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
5. तकनीकी बीड के साथ पूर्व चुनाव में कार्य करने का कोई अनुभव/कार्यादेश हो तो संलग्न कर सकते हैं। अन्य शर्तें पूर्ण करने पर अनुभव वाले फर्म को प्राथमिकता दी जा सकती है।
6. पूर्व में निर्वाचन कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने वाले निविदादाता निविदा के पात्र नहीं होंगे।

B. वित्तीय (Financial bid):—

1. विडियो ग्राफी/फोटोग्राफी एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि हेतु स्लैब के आधार पर दर देना होगा।
2. निविदा स्वीकृति करने, अस्वीकृत करने अथवा सम्पूर्ण निविदा रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
3. न्यूनतम स्वीकृत दर पर आवश्यकता अनुसार एक से अधिक फार्मों को कार्यादेश दिया जा सकता है।
4. प्रत्येक निविदादाता को दो अलग-अलग मुहरबन्द लिफाफे में तकनीकी बीड (Technical Bid) एवं वित्तीय बीड (Financial bid) सम्बन्धी कागजात समर्पित करना होगा। लिफाफों पर स्पष्ट अक्षरों में तकनीकी बीड तथा वित्तीय बीड अलग-अलग अंकित करना होगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
—सह—
उपायुक्त, राँची।



जिला निर्वाचन पदाधिकारी—सह—उपायुक्त का कार्यालय, राँची। (जिला निर्वाचन शाखा)

लोक सभा निर्वाचन—2019 के लिए खाना, नास्ता इत्यादि हेतु निविदा की शर्तें।

A. तकनीकी बीड:—(Technical Bid)

1. तकनीकी बीड में आयकर देने सम्बन्धी निबन्धन संख्या एवं अद्यतन तीन वर्षों का आयकर रिटर्न एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
2. जी0एस0टी0 निबन्धन सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. प्रत्येक निविदादाता को 20,000.00(रूपये बीस हजार) का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति की राशि के रूप में उप निर्वाचन पदाधिकारी के पदनाम से देय होगा, जो धनबाद में भुगतये होगा। तकनीकी बीड के साथ संलग्न करना होगा।
4. प्रत्येक निविदादाता को आदेश के अनुसार खाना, नास्ता इत्यादि की आपूर्ति निर्धारित स्थान पर दिये गये समय पर करनी होगी।
5. तकनीकी बीड के साथ पूर्व चुनाव में कार्य करने का कोई अनुभव/कार्यादेश हो तो संलग्न कर सकते हैं। अन्य शर्तें पूर्ण करने पर अनुभव वाले फर्म को प्राथमिकता दी जा सकती है।
6. पूर्व में निर्वाचन कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने वाले निविदादाता निविदा के पात्र नहीं होंगे।

B. वित्तीय (Financial bid):—

1. निविदा स्वीकृति करने, अस्वीकृत करने अथवा सम्पूर्ण निविदा रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
2. न्यूनतम स्वीकृत दर पर आवश्यकता अनुसार एक से अधिक फार्मों को कार्यादेश दिया जा सकता है।
3. प्रत्येक निविदादाता को दो अलग—अलग मुहरबन्द लिफाफे में तकनीकी बीड (Technical Bid) एवं वित्तीय बीड (Financial bid) सम्बन्धी कागजात समर्पित करना होगा। लिफाफों पर स्पष्ट अक्षरों में तकनीकी बीड तथा वित्तीय बीड अलग—अलग अंकित करना होगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
—सह—
उपायुक्त, राँची।



जिला निर्वाचन पदाधिकारी—सह—उपायुक्त का कार्यालय, राँची। (जिला निर्वाचन शाखा)

लोक सभा निर्वाचन—2019 के लिए छोटी वाहनो के किराया पर लिये जाने हेतु निविदा की शर्तें।

A. तकनीकी बीड:—(Technical Bid)

1. तकनीकी बीड में आयकर देने सम्बन्धी निबन्धन संख्या एवं अद्यतन तीन वर्षों का आयकर रिटर्न एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
2. जी0एस0टी0 निबन्धन सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. प्रत्येक निविदादाता को 20,000.00(रूपये बीस हजार) का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति की राशि के रूप में उप निर्वाचन पदाधिकारी के पदनाम से देय होगा, जो राँची में भुगतये होगा। तकनीकी बीड के साथ संलग्न करना होगा।
4. प्रत्येक निविदादाता को वाहन का प्रदूषण, वाहन बीमा, अद्यतन टैक्स एवं वाहन ऑनर बुक होना आवश्यक होगा।
5. तकनीकी बीड के साथ पूर्व चुनाव में कार्य करने का कोई अनुभव/कार्यादेश हो तो संलग्न कर सकते हैं। अन्य शर्तें पूर्ण करने पर अनुभव वाले फर्म को प्राथमिकता दी जा सकती है।
6. पूर्व में निर्वाचन कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने वाले निविदादाता निविदा के पात्र नहीं होंगे।

B. वित्तीय (Financial bid):—

1. छोटी वाहनो के किराया आदि के लिये स्लैब के आधार पर दर देना होगा।
2. निविदा स्वीकृति करने, अस्वीकृत करने अथवा सम्पूर्ण निविदा रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
3. न्यूनतम स्वीकृत दर पर आवश्यकता अनुसार एक से अधिक फार्मों को कार्यादेश दिया जा सकता है।
4. प्रत्येक निविदादाता को दो अलग—अलग मुहरबन्द लिफाफे में तकनीकी बीड (Technical Bid) एवं वित्तीय बीड (Financial bid) सम्बन्धी कागजात समर्पित करना होगा। लिफाफों पर स्पष्ट अक्षरों में तकनीकी बीड तथा वित्तीय बीड अलग—अलग अंकित करना होगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
—सह—
उपायुक्त, राँची।



जिला निर्वाचन पदाधिकारी—सह—उपायुक्त का कार्यालय, राँची। (जिला निर्वाचन शाखा)

लोक सभा निर्वाचन—2019 के लिए मतदान सामग्री, प्रपत्र, लिफाफे, मुद्रण लेखन सामग्री के लिये जाने हेतु निविदा की भाँती।

A. तकनीकी बीड:—(Technical Bid)

1. तकनीकी बीड में आयकर देने सम्बन्धी निबन्धन संख्या एवं अद्यतन तीन वर्षों का आयकर रिटर्न एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
2. जी0एस0टी0 निबन्धन सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. प्रत्येक निविदादाता को 20,000.00(रूपये बीस हजार) का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति की राशि के रूप में उप निर्वाचन पदाधिकारी के पदनाम से देय होगा, जो राँची में भुगतये होगा। तकनीकी बीड के साथ संलग्न करना होगा।
4. प्रत्येक निविदादाता को उक्त सामग्री आदेश के अनुसार निर्धारित स्थल पर पहुंचाना आव यक होगा, जिसके लिए अलग से किराया देय नहीं होगा।
5. तकनीकी बीड के साथ पूर्व चुनाव में कार्य करने का कोई अनुभव/कार्यादेश हो तो संलग्न कर सकते हैं। अन्य शर्तें पूर्ण करने पर अनुभव वाले फार्म को प्राथमिकता दी जा सकती है।
6. पूर्व में निर्वाचन कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने वाले निविदादाता निविदा के पात्र नहीं होंगे।

B. वित्तीय (Financial bid):—

1. निविदा स्वीकृति करने, अस्वीकृत करने अथवा सम्पूर्ण निविदा रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
2. न्यूनतम स्वीकृत दर पर आवश्यकता अनुसार एक से अधिक फर्मों को कार्यादेश दिया जा सकता है।
3. प्रत्येक निविदादाता को दो अलग—अलग मुहरबन्द लिफाफे में तकनीकी बीड (Technical Bid) एवं वित्तीय बीड (Financial bid) सम्बन्धी कागजात समर्पित करना होगा। लिफाफों पर स्पष्ट अक्षरों में तकनीकी बीड तथा वित्तीय बीड अलग—अलग अंकित करना होगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
—सह—
उपायुक्त, राँची।



जिला निर्वाचन पदाधिकारी—सह—उपायुक्त का कार्यालय, राँची। (जिला निर्वाचन शाखा)

लोक सभा निर्वाचन—2019 के लिए जेरोक्स, प्रिन्ट आउट कराने हेतु निविदा की शर्तें।

A. तकनीकी बीड:—(Technical Bid)

1. तकनीकी बीड में आयकर देने सम्बन्धी निबन्धन संख्या एवं अद्यतन तीन वर्षों आयकर रिटर्न एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
2. जी0एस0टी0 निबन्धन सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. प्रत्येक निविदादाता को 10,000.00(रूपये दस हजार) का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति की राशि के रूप में उप निर्वाचन पदाधिकारी के पदनाम से देय होगा, जो राँची में भुगतये होगा। तकनीकी बीड के साथ संलग्न करना होगा।
4. प्रत्येक निविदादाता को छायाप्रति/प्रिन्ट आउट कार्य स्थल पर करना या कार्य स्थल से अलग करने पर संबंधित स्थान पर पहुंचाना आवश्यक होगा।
5. तकनीकी बीड के साथ पूर्व चुनाव में कार्य करने का कोई अनुभव/कार्यादेश हो तो संलग्न कर सकते हैं। अन्य शर्तें पूर्ण करने पर अनुभव वाले फार्म को प्राथमिकता दी जा सकती है।
6. पूर्व में निर्वाचन कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने वाले निविदादाता निविदा के पात्र नहीं होंगे।

B. वित्तीय (Financial bid):—

1. निविदा स्वीकृति करने, अस्वीकृत करने अथवा सम्पूर्ण निविदा रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
2. न्यूनतम स्वीकृत दर पर आवश्यकता अनुसार एक से अधिक फर्मों को कार्यादेश दिया जा सकता है।
3. प्रत्येक निविदादाता को दो अलग—अलग मुहरबन्द लिफाफे में तकनीकी बीड (Technical Bid) एवं वित्तीय बीड (Financial bid) सम्बन्धी कागजात समर्पित करना होगा। लिफाफों पर स्पष्ट अक्षरों में तकनीकी बीड तथा वित्तीय बीड अलग—अलग अंकित करना होगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
—सह—
उपायुक्त, राँची।